

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
संशोधित आदेश

श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन बर्खास्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा स्वयं की बर्खास्तगी संबंधी प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश के आलोक में प्रधान सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील आवेदन के संबंध में प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध बर्खास्तगी संबंधी दिये गये दण्ड को समाप्त करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 563 दिनांक 31.01.2019(छायाप्रति संलग्न) द्वारा उन्हें निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया :-

- (क) श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, को संचायात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने की सजा दी जाती है।
(ख) श्री सिन्हा की सेवा से बर्खास्तगी अवधि से लेकर सेवा में पुनः योगदान देने की तिथि के बीच की अवधि के लिए कोई भी वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा, परन्तु उनके पेंशन आदि के लिए यह अवधि सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी।

परन्तु श्री सिन्हा के दिनांक 31.01.2020 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार उन्हें एक भी वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य नहीं हो पायेगा। इस प्रकार उक्त अधिरोपित दण्ड कंडिका-क का प्रभाव शून्य होगा।

वर्णित स्थिति में कंडिका-क में अधिरोपित दण्ड को परिवर्तित करते हुए उन्हें निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

(क) श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन बर्खास्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लौकही जिला- मधुबनी को वर्ष 2015-2016 की चारित्र्य में निंदन की प्रविष्टि की सजा दी जाती है।

1. पूर्व निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 563 दिनांक 31.01.2019 की शेष कंडिकार्यें यथावत रहेगी।
2. उक्त आदेश के साथ श्री सिन्हा के अपील आवेदन को निष्पादित किया जाता है।
3. उक्त आदेश में अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-80/2018 श्र0सं0-

दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-80/2018 श्र0सं0-

दिनांक-

प्रतिलिपि- निदेशक (कृ0श्र0), बिहार /उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर /श्रम अधीक्षक, मधुबनी एवं श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन बर्खास्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लौकही जिला-मधुबनी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रम अधीक्षक, मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का तामिला श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा को कराया जाय।

ह0/-

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-80/2018 श्र0सं0-

दिनांक-

प्रतिलिपि- अपर सचिव, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना / बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लायज कोरपोरेशन लिमिटेड, खगड़िया को उनके पत्रांक-481 रा0खा0नि0, दि0-11.04.15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-80/2018 श्र0सं0-

दिनांक-

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, खगड़िया /मुजफ्फरपुर /माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर0एल0-40-80/2018 श्र0सं0-

दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना /आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं गजट प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25/02/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।